संख्या–6 एस० एस०(6)39/2023 – 2239/

**बिहार सरकार**

**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 21/05/2025.

XX

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **"मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य सम्पदा सात निश्चय–2 के तहत कुल ₹ 759.60 लाख (सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–5720, दिनांक–23.12.2024 के क्रम में "मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य सम्पदा सात निश्चय–2 के तहत कुल ₹ 759.60 लाख (सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III, IV एवं V के रूप में संलग्न है।

2. राज्य सरकार के द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए कृषि रोड मैप को चरणबद्ध तरीके से लागू की गई जिसके परिणामस्वरूप विगत दशकों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में करीब तीन गुणा वृद्धि हुई है। मत्स्य उत्पादन बढ़ने से इसके समुचित मत्स्य बाजार की उपलब्धता, सम्बद्ध आधारभूत संरचना का निर्माण एवं स्वच्छ मत्स्य विपणन की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। राज्य का वर्तमान मत्स्य–बाजार पारम्परिक, आधारभूत सुविधाओं का आभाव एवं असंगठित है जिसमें अधिकांश खुदरा मत्स्य बाजार खुले में (हाट, चौक–चौराहा, सड़क के किनारे) लगती है जहाँ अनहाईजेनिक स्थिति में मछली की बिक्री की जाती है। उक्त क्षेत्रों में अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है। अतः आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) के निश्चय–4 (स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव) के तहत मत्स्य संसाधनों का विकास के "आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर कार्य किया जाएगा। मछली के उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार राज्य की मछली अन्य राज्यों में जाएगी" के संकल्प के तहत वर्ष 2025–26 में "मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना" को चालू योजना के रूप में स्वीकृति का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मत्स्य बाजार को आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ संगठित एवं स्वच्छ रूप देना जिससे रोजगार के नए अवसर के साथ–साथ मत्स्य कृषकों/मछुओं/मत्स्य व्यवसाईयों की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सके।

4. इससे होने वाले लाभ :–

इस योजना के सफल क्रियान्वयन से निम्नांकित लाभ होने की संभावना है :–

(i) राज्य में संगठित एवं स्वच्छ खुदरा मत्स्य बाजार उपलब्ध होगी तथा मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी एवं स्वच्छ मछली उपलब्ध होगी।

(ii) राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित आजीविका तथा ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा तथा मत्स्य पालकों/कृषकों के वार्षिक आय में अभिवृद्धि के साथ–साथ उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा।

5. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय–सीमा :– राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2 के तहत इस योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत 12 प्रखंड स्तर एवं 31 पंचायत स्तर पर मत्स्य बाजार का निर्माण प्रस्तावित है। जिलावार 12 प्रखंड एवं 31 पंचायत स्तर पर मत्स्य बाजार निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त (9 प्रखंड एवं 30 पंचायत)/उपर्युक्त विभागीय जलकरों (3 प्रखण्ड एवं 1 पंचायत) भूमि की विवरणी अनुलग्नक–II एवं III संलग्न है।

6. योजना की संक्षिप्त टिप्पणी :–

राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2 के इस "मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना" अन्तर्गत राज्य में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर मत्स्य बाजार पर होने वाले व्यय का वहन शत प्रतिशत राज्य सरकार के निधि से किया जायेगा।

(I) मत्स्य बाजार निर्माण की योजना :–

प्रस्तावित मत्स्य बाजार निर्माण की योजना के तहत सरकारी भूमि/विभागीय जलकर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर जिला प्रखंड एवं पंचायत–स्तर पर बाजार का निर्माण किया जाएगा।

(i) वर्तमान मत्स्य बाजार की जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण के मामला में बाजार विशेष हेतु वास्तविक प्राक्कलन तैयार किया जाएगा जिसमें निर्धारित इकाई लागत के अन्दर व्यय सीमित रहेगा।

(ii) जहाँ (प्रखंड एवं पंचायत) पर मत्स्य बाजार निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल/भूमि नहीं पाई जाएगी, वहाँ पर अन्य सरकारी भूमि का NOC प्राप्त कर अथवा उपर्युक्त विभागीय जलकरों का चयन कर मत्स्य बाजार का निर्माण किया जाएगा।

(iii) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन चिन्हित भूमि के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) इस योजनान्तर्गत प्रखंड–स्तरीय एवं पंचायत–स्तरीय मत्स्य बाजार का निर्माण किया जाना है। इसके लिए मत्स्य बाजार का मॉडल प्राक्कलन, नक्शा आदि तैयार की गई है (अनुलग्नक–IV एवं V)।

(v) संलग्न मत्स्य बाजार मॉडल प्रतिकात्मक मॉडल है जिसे जमीन की भौगोलिक स्थिति के अनुसार डिजाईन में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(क) प्रखण्ड स्तरीय खुदरा मत्स्य बाजार का निर्माण की तकनीकी विशिष्टता :–

(i) प्रखण्ड स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण के लिए लगभग कुल 8000.00 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 1350.00 वर्ग फीट (45'-0"x30'-0") में raised प्लेटफार्म एक शेडनुमा–भवन का निर्माण किया जायेगा जो ग्रील एवं गेट से घिरा रहेगा। उक्त शेडनुमा–भवन में दस 6'-0" x 5'-0" आकार का मछली बिक्री हेतु raised प्लेटफार्म स्टॉल का निर्माण किया जायेगा। स्टॉल के चारो तरफ आवागमन हेतु बारामदा होगा। भवन के चारो तरफ आवागमन एवं वाहन पार्किंग हेतु खुला समतल जमीन का प्रावधान होगा। इसके अलावे जल आपूर्ति हेतु डीप बोरिंग, सैनिटेशन, सोक पीट, प्रसाधन, वाटर हॉर्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन), विद्युत आदि की सुविधा होगी।

(ii) परिसर में प्रस्तावित दस मछली बिक्री raised प्लेटफार्म स्टॉल पर चयनित मत्स्य विक्रेताओं के द्वारा मछली बिक्री की जा सकेगी।

(iii) प्रखण्ड स्तरीय खुदरा मत्स्य बाजार का इकाई लागत ₹ 23.00 लाख (तेइस लाख) आकलित है। योजना एवं प्राक्कलन की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–IV संलग्न है।

(iv) योजनांतर्गत राज्य के 12 प्रखंडों में कुल 12 खुदरा मत्स्य बाजार के निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है जिस पर कुल ₹ 276.00 लाख (दो करोड़ छिहतर लाख रुपये) मात्र व्यय होने का अनुमान है।

(ख) पंचायत स्तरीय खुदरा मत्स्य बाजार की तकनीकी विशिष्टता :–

(i) पंचायत स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण के लिए लगभग कुल 4000.00 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 750.00 वर्ग फीट (30'-0"x25'-0") में raised प्लेटफार्म एक शेडनुमा–भवन का निर्माण किया जायेगा जो ग्रील एवं गेट से घिरा रहेगा। उक्त शेडनुमा–भवन में छः 6'-0" x 5'-0" आकार का मछली बिक्री हेतु raised प्लेटफार्म स्टॉल का निर्माण किया जायेगा। स्टॉल के चारो तरफ आवागमन हेतु बारामदा होगा। भवन के चारो तरफ आवागमन एवं वाहन पार्किंग हेतु खुला समतल जमीन का प्रावधान होगा। इसके अलावे जल आपूर्ति हेतु डीप बोरिंग, सैनिटेशन, सोक पीट, प्रसाधन, वाटर हॉर्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन), विद्युत आदि की सुविधा होगी।

(ii) पंचायत स्तरीय खुदरा मत्स्य बाजार की इकाई लागत ₹ 15.60 लाख (पन्द्रह लाख साठ हजार) आकलित है। योजना एवं प्राक्कलन की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–V संलग्न है।

(iii) राज्य के 31 पंचायत में 31 खुदरा मत्स्य बाजार का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है जिस पर कुल ₹ 483.60 लाख (चार करोड़ तिरासी लाख साठ हजार रुपये मात्र) व्यय होने का अनुमान है। उक्त दोनो स्तर के मत्स्य बाजारों के निर्माण पर कुल ₹ 759.60 लाख (सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र व्यय होने की अनुमान है।

7. क्रियान्वयन :–

योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले प्रखंड एवं पंचायत–स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण का कार्य विभागीय अभियंता के देख–रेख में कराया जाएगा। बाजार निर्मित होने के पश्चात् मत्स्य विक्रेताओं (लाभुकों) का चयन, स्टॉल का आवंटन, किराया

का निर्धारण एवं वसूली, रख–रखाव तथा बाजार संचालन एवं प्रबंधन आदि के संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय क्रियान्वयन अनुदेश संख्या–2344, दिनांक–22.11.2023 के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही विभागीय आदेश संख्या–1690, दिनांक–19.09.2024 में निहित प्रावधान के तहत किया जाएगा जो निम्नवत है–

(i) सुगमतापूर्वक निविदा कार्यो के निष्पादन एवं व्यवहारिकता को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय मत्स्य बाजारों के निर्माण हेतु पृथक–पृथक निविदा आमंत्रित करने के स्थान पर परिक्षेत्रवार (प्रमंडलवार) समेकित रूप से निविदा आमंत्रित किया जाय।

(ii) मत्स्य बाजार निर्माण (प्रखण्ड/पंचायत) हेतु स्वीकृत प्रशासनिक व्यय को वित्त विभाग, बिहार के पत्र संख्या एम0–4–53/2007 2629 दिनांक–14.03.2023 के आलोक में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित उक्त मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण हेतु स्वीकृत इकाई लागत राशि में वित्तीय अनुज्ञेय सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत के अंदर करने का प्रावधान किया जाता है, लेकिन व्यय की राशि उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्दर ही सीमित रहेगी। इसके तहत योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर मत्स्य बाजार का निर्माण की संख्या में आवश्यकतानुसार अनुपातिक बदलाव अर्थात–कम अथवा ज्यादा किया जा सकेगा।

8. विभागीय राज्यदेश संख्या–6 एस०एस०(6)39/2023–5720, दिनांक–23.12.2024 द्वारा स्वीकृत योजनान्तर्गत अभियंत्रण कोषांग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा 20 पंचायत एवं 8 प्रखंड स्तर पर मत्स्य बाजार के निर्माण हेतु eproc के माध्यम से अपनाई गई निविदा प्रक्रिया की प्रस्तावित योजना के तहत अनुमान्यता होगी।

9. मत्स्य बाजार में मछलियों का आवक, बिक्री, हाईजेनिक स्थिति आदि का आँकड़ा संकलित कर समय–समय पर विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

10. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा एवं मत्स्य निदेशालय के अधीन/सम्बद्ध अभियंताओं के द्वारा योजना का क्रियान्वयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

11. योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से दिशा निदेश/आदेश जारी किया जा सकेगा।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना होंगे।

13. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि निदेशक, मत्स्य को आवंटित की जायेगी।

14. बजट शीर्ष :–इस योजना के तहत मत्स्य बाजार निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अंतर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0117–मत्स्य संपदा–सात निश्चय–2,

विपत्र कोड– 02–2405001010117 के तहत विषय शीर्ष–0117.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/ 2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)39/2023 के पृष्ठ–104/टि० तथा डायरी संख्या–241, दिनांक–15.05.2025.

18. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

19. चुकि यह स्कीम सात निश्चय–2 के तहत एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)39/2023 के पृष्ठ–104/टि०, दिनांक–16.05.2025.

20. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

20/5/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)39/2023– 2239 /पटना–15, दिनांक–...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)39/2023– 2139 /पटना–15, दिनांक–...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)39 / 2023– 2239 / पटना–15, दिनांक–......21. / .05...... / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / सभी कनीय / सहायक अभियंता, मत्स्यको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)39 / 2023– 2239 / पटना–15, दिनांक–......21... / ....05... / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)39 / 2023– 2239 / पटना–15, दिनांक–.......21. / ..05.... / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)39 / 2023– 2239 / पटना–15, दिनांक–.......21.. / ..05..... / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

## अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में **"मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना"** हेतु मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, के तहत मत्स्य बाजार के निर्माण योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख में)

| क्र० | योजना का नाम | उप शीर्ष | विषय शीर्ष | लक्ष्य (सं०) | स्वीकृत राशि (लाख में) | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **1** | प्रखंड मत्स्य बाजार निर्माण | लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 | विषय शीर्ष–0117.31.05 –सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण | 12 | 276.000 | निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। |
| | पंचायत मत्स्य बाजार निर्माण | | | 31 | 483.600 | | |
| | | | योग :– | **43** | **759.600** | | |

**कुल (सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र।**

2239
21/05/25

20/5/25

सरकार के अपर सचिव

## अनुलग्नक–II

### चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मत्स्य विपणन योजना के तहत प्रखण्ड स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण हेतु जिलावार स्थल की विवरणी

| क्र0 सं0 | जिला का नाम | क्र0 सं0 | क्र0 सं0 | प्रखंड स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण हेतु चिन्हित स्थल का नाम | चिन्हित जमीन की विवरणी | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खाता | खेसरा | रकबा (एकड़ में) | |
| *1* | *2* | *3* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | सारण | 1 | 1 | परसा, शंकर डीह | 176 | 603 | 0.779 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 2 | शेखपुरा | 1 | 2 | चेवाड़ा | 362 | 2071 | 0.185 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 3 | जमुई | 1 | 3 | ईमली गबड़ा | 84 | 202 | 2.75 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 2 | 4 | चकाई बाजार | 184 | 201, 202 | 0.64 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 4 | अरवल | 1 | 5 | सिपाह | 157 | 107 | 0.30 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 5 | दरभंगा | 1 | 6 | सदर दरभंगा (सोनकी बड़की पोखर) | - | 819, 820, 821, 822 | 11.83 | विभागीय जलकर |
| 6 | पश्चिम चम्पारण | 1 | 7 | बैरिया, रतहरी मन | 11 | 256 | 49.590 | विभागीय जलकर |
| | | 2 | 8 | गौनाहा जलकर | 76 | 5,18,51,54,56,240 | 50.00 | विभागीय जलकर |
| 7 | गया | 1 | 9 | तिलईया डुमराव पोखर | 184 | 85 | 5.920 | विभागीय जलकर |
| 8 | भोजपुर | 1 | 10 | जगदीशपुर पुराना तालब | 1033 | 2162 | 3.270 | विभागीय जलकर |
| | | 2 | 11 | तरारी | 411 | 967 | 15.800 | विभागीय जलकर |
| 9 | मुजफ्फरपुर | 1 | 12 | मुशहरी | 1228 | 651 | 3.500 | विभागीय जलकर |

नोटः– उपर्युक्त मत्स्य बाजार हेतु भूमि संबंधी उपलब्धता कुल 09 जिला में 12 स्थानों पर प्रखण्ड स्तरीय बाजार हेतु सूची का विवरणी तैयार की गई है। उक्त विवरणी में सभी स्थलों पर प्रखंड–स्तरीय बाजार हेतु मानक के अनुसार भूमि (8000 वर्ग फीट) उपलब्ध है।

2239
21/05/25

20/5/25

सरकार के अपर सचिव

## अनुलग्नक-III

## चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मत्स्य विपणन योजना के तहत पंचायत स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण हेतु जिलावार स्थल की विवरणी।

| क्र0सं0 | जिला का नाम | क्र0 सं0 | क्र0 सं1 | पंचायत स्तरीय मत्स्य बाजार निर्माण हेतु चिन्हित स्थल का नाम | चिन्हित जमीन की विवरणी | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खाता | खेसरा | रकवा (एकड़ में) | |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | किशनगंज | 1 | 1 | मैधो हाट कोचाधामन | 480 | 614 | 0.446 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 2 | 2 | हिम्मतनगर हाट कोचाधामन | 30 | 339 | 0.446 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 3 | 3 | हल्दीखोरा हाट कोचाधामन | 422 | 2626, 3513 | 0.446 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 4 | 4 | पार्टकोई हाट कोचाधामन | 237 | 9,44,946 | 0.446 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 5 | 5 | मेहरा हाट कोचाधामन | 660 | 707, 2676 | 0.446 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 2 | वैशाली | 1 | 6 | नगरपंचायत महुआ, ग्राम महुआ सिंह राय | 751 | 3288, 6033 | 0.200 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 2 | 7 | लदहो, ग्राम–पहाड़पुर | 95 | 149 | 3.690 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 3 | 8 | अकवाही पातेपुर | 212 | 899 | 2.550 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 4 | 9 | अमृतपुर | 380 | 1927 | 0.520 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 5 | 10 | रहिमपुर खरगौलिया | 204 | 1129 | 3.600 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 6 | 11 | महम्मदपुर टुरी | 291 | 1157 | 0.840 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 7 | 12 | गौसपुर चकमजाहिद | 444 | 232 | 0.100 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 8 | 13 | फतेहपुर, पकड़ी | 552 | 3436 | 0.090 | 3920 वर्ग फीट (अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त) |
| | | 9 | 14 | ताजपुर बुजुर्ग | 305 | 1105 | 0.090 | |
| | | 10 | 15 | लक्ष्मी नारायणपुर | 353 | 426 | 0.090 | |
| | | 11 | 16 | भदवास | 146 | 254 | 0.100 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 12 | 17 | मिरजानगर | 928 | 4725 | 0.100 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 13 | 18 | फुलवरिया | 290 | 665 | 0.100 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 14 | 19 | रामपुर चन्द्रभान उर्फ डगरू | 297 | 2048 | 0.100 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 15 | 20 | शेरपुर मणिकपुर | 316 | 1308 | 0.100 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 16 | 21 | नीरपुर | 160 | 644 | 0.170 | 2024–25 में स्वीकृत |
| | | 17 | 22 | सिमरवाड़ा | 426 | 1220 | 0.970 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| | | 18 | 23 | हरपुर अरडा | 186 | 586 | 0.350 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| | | 19 | 24 | वैशाली | 2473 | 8119 | 0.158 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| | | 20 | 25 | महम्मदपुर | 163 | 525 | 0.440 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| | | 21 | 26 | दाउदनगर | 629 | 2355 | 0.140 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| | | 22 | 27 | गोपालपुर | 150 | 909 | 0.350 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| | | 23 | 28 | अ0सेहान | 748 | 3320 | 0.100 | अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त उपयुक्त |
| 3 | बेगुसराय | 1 | 29 | खोदावन्द्रपुर | 455 | 299 | 0.150 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 4 | सीतामढ़ी | 1 | 30 | बेल डुमरवाना, बैरगनिया | 2828 | 40 | 0.137 | 2024–25 में स्वीकृत |
| 5 | मुजफ्फरपुर | 1 | 31 | मोतीपुर झिंगहाँ | 3635 | 13850,22580 | 32.60 | विभागीय जलकर |

नोटः– उपर्युक्त मत्स्य बाजार हेतु भूमि संबंधी उपलब्धता कुल 05 जिला में 31 स्थानों पर पंचायत स्तरीय बाजार हेतु सूची का विवरणी तैयार की गई है। उक्त विवरणी में सभी स्थल पर पंचायत–स्तरीय बाजार हेतु मानक के अनुसार भूमि (4000 वर्ग फीट) उपलब्ध है।

2239
21/05/25

20/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक – IV

# Gen Abstract of cost:

Model Retail Fish Market for Block Level (10 Stalls)-

| Sl No | Name of Project Component ( Total Area 8000 Sq-Ft) | Cost of the Component ( Rs.) |
|---|---|---|
| 1 | Building Proper ( Builtup Area-1350 Sq-ft) | 1688000.00 |
| 2 | Soak Pit-( L.S) | 100000.00 |
| 3 | Rain water harvesting -( L.S) | 100000.00 |
| 4 | Add 5% for Electrification- | 84400.00 |
| 5 | Add 8% for Water Supply and Sanitation- | 135040.00 |
| 6 | Deep Boring-(L.S) | 200000.00 |
| | Total- | 2307440.00 |
| | Say- | **2300000.00** |
| Rupees Twenty Three Lakhs Only. | | |

The above costs are just Estimation. During construction cost of different items may vary among themselves within total cost.

13/5/22
( Sanjay Kumar)
Junior Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna

17/5/22
( Ashok Kumar Singh)
Assistant Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna

# Hygenic Fish Retail Market for Rural Areas

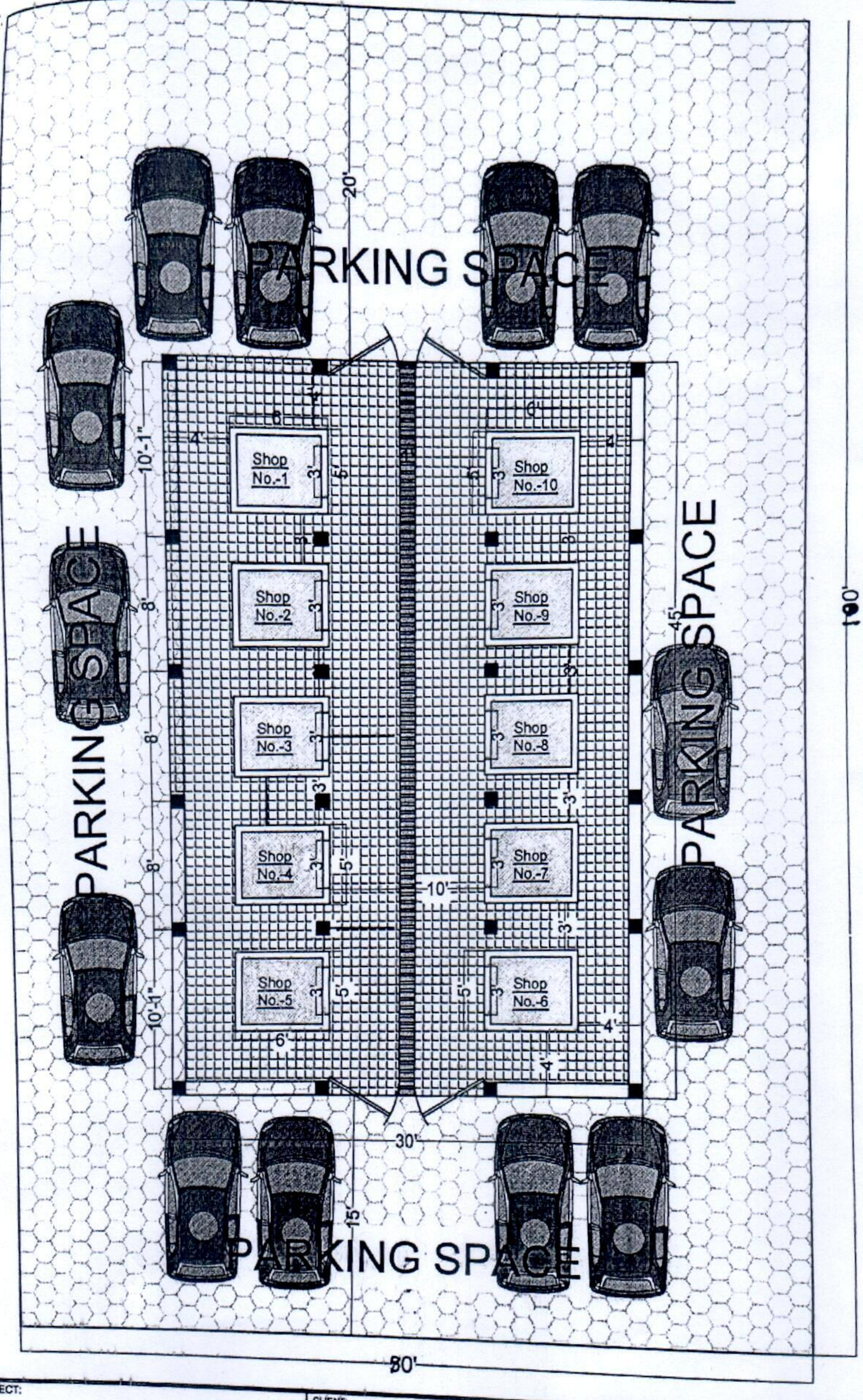


| PROJECT: | CLIENT: | SHEET TITLE: | ARCHITECTS: |
|---|---|---|---|
| PROPOSED FISH MARKET DESIGN for RURAL AREAS | SCALE: DATE: 13.12.2020 | GROUND FLOOR MODEL PLAN NORTH: | P.N ARCHOUSE |

13/5/22
JC

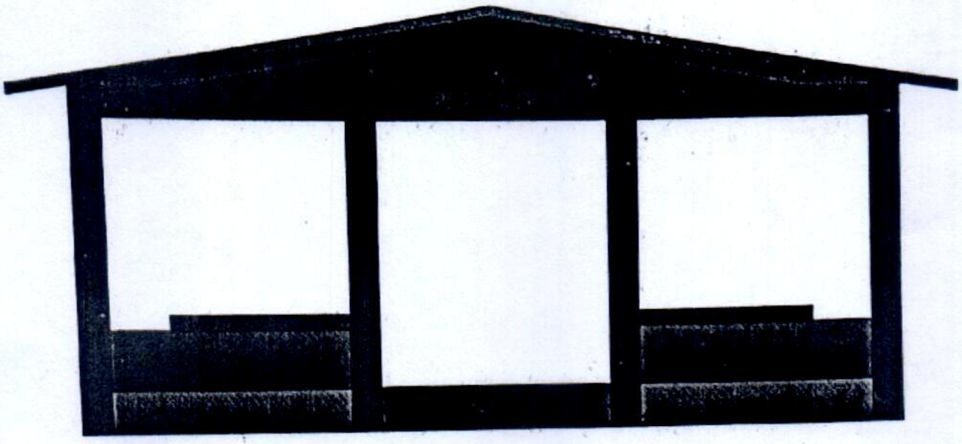

13/5/22
J.E; HG
Patna

17/05/2022
हायक अभियंता
य निदेशालय
ार, पटना

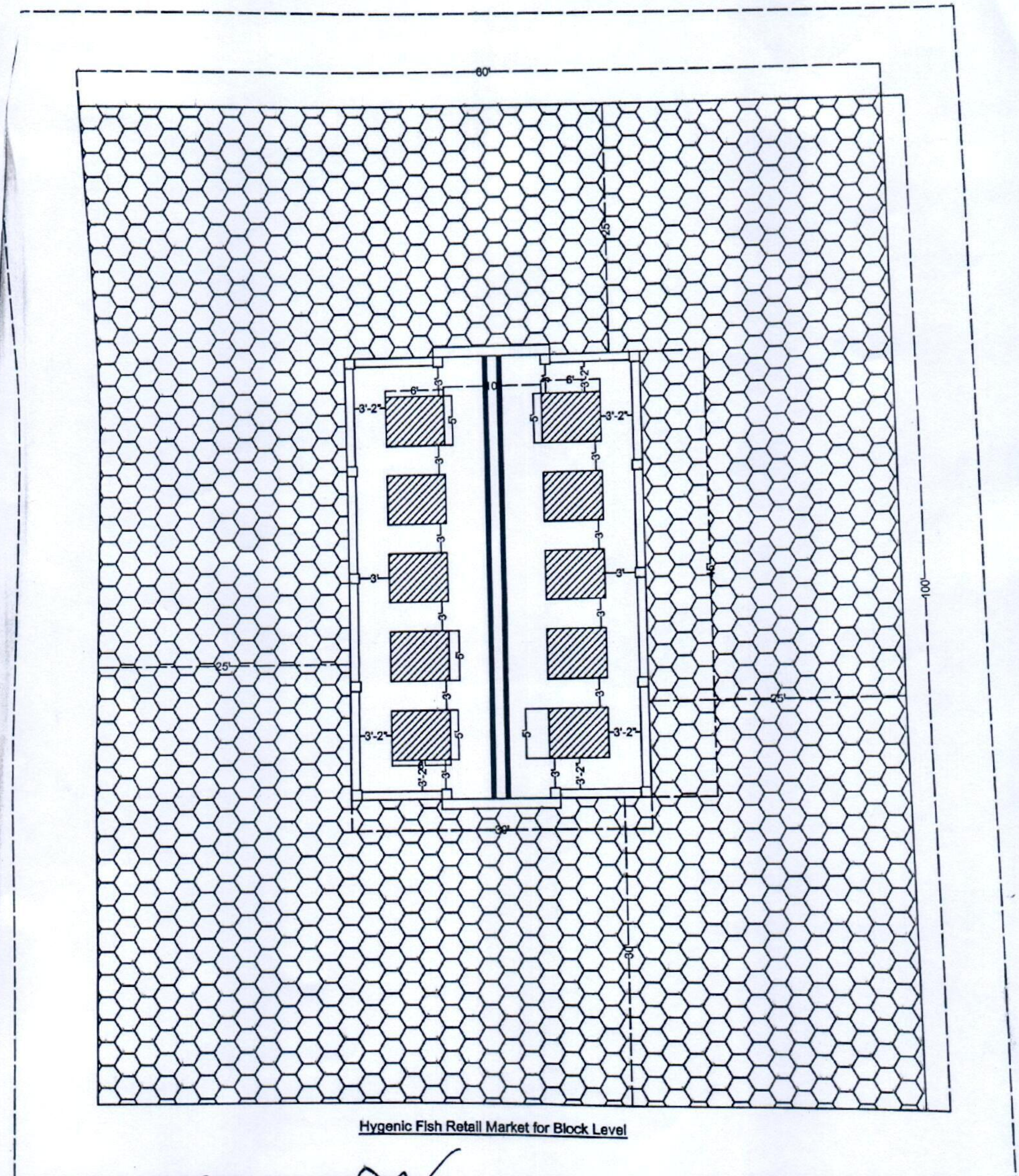


Hygenic Fish Retail Market for Block Level

13/5/22
J.E, H.Q
Patna.

अनुलग्नक – IV

# Gen Abstract of cost:

Model Retail Fish Market for Panchayat Level (6 Stalls)-

| Sl No | Name of Project Component ( Total Area 4000 Sq-Ft) | Cost of the Component ( Rs.) |
|---|---|---|
| 1 | Building Proper ( Builtup Area-750 Sq-ft) | 1001000.00 |
| 2 | Soak Pit-( L.S) | 100000.00 |
| 3 | Rain water harvesting -( L.S) | 100000.00 |
| 4 | Add 8% for Electrification- | 80080.00 |
| 5 | Add 8% for Water Supply and Sanitation- | 80080.00 |
| 6 | Deep Boring-(L.S) | 200000.00 |
| | Total- | 1561160.00 |
| | Say- | **1560000.00** |
| Rupees Fifteen Lakhs and Sixty Thousands Only. | | |

The above costs are just Estimation. During construction cost of different items may vary among themselves within total cost.

13/5/22
( Sanjay Kumar )
Junior Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna

17/5/2022
( Ashok Kumar Singh)
Assistant Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna

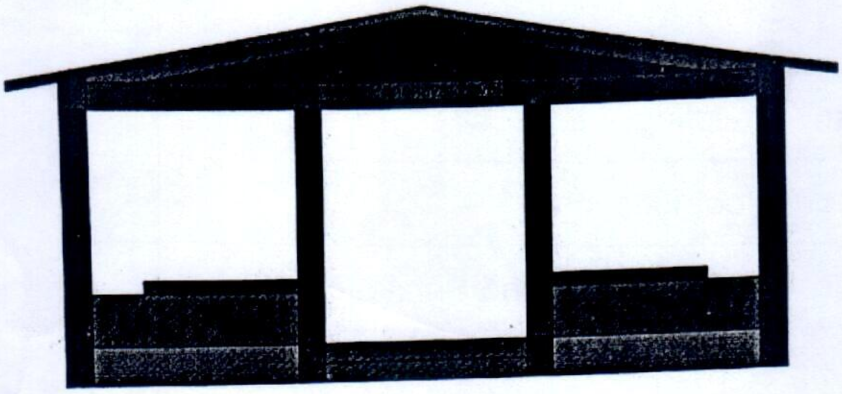

17/03/2022
सहायक अभियंता
...स्थ्य निदेशालय
... पटना

13/3/22
J.E., H.9
Patna.

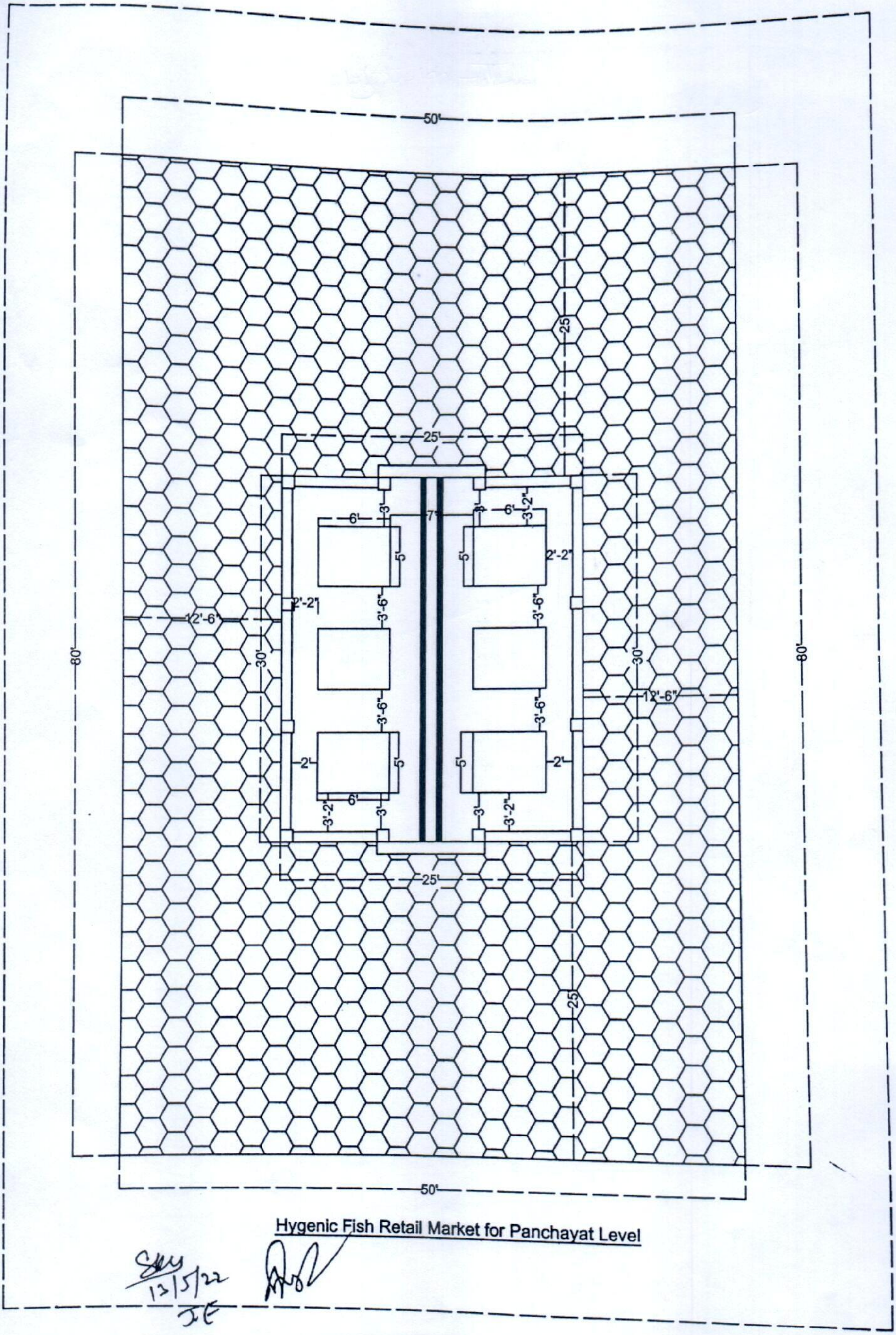


Hygenic Fish Retail Market for Panchayat Level

13/5/22
JE

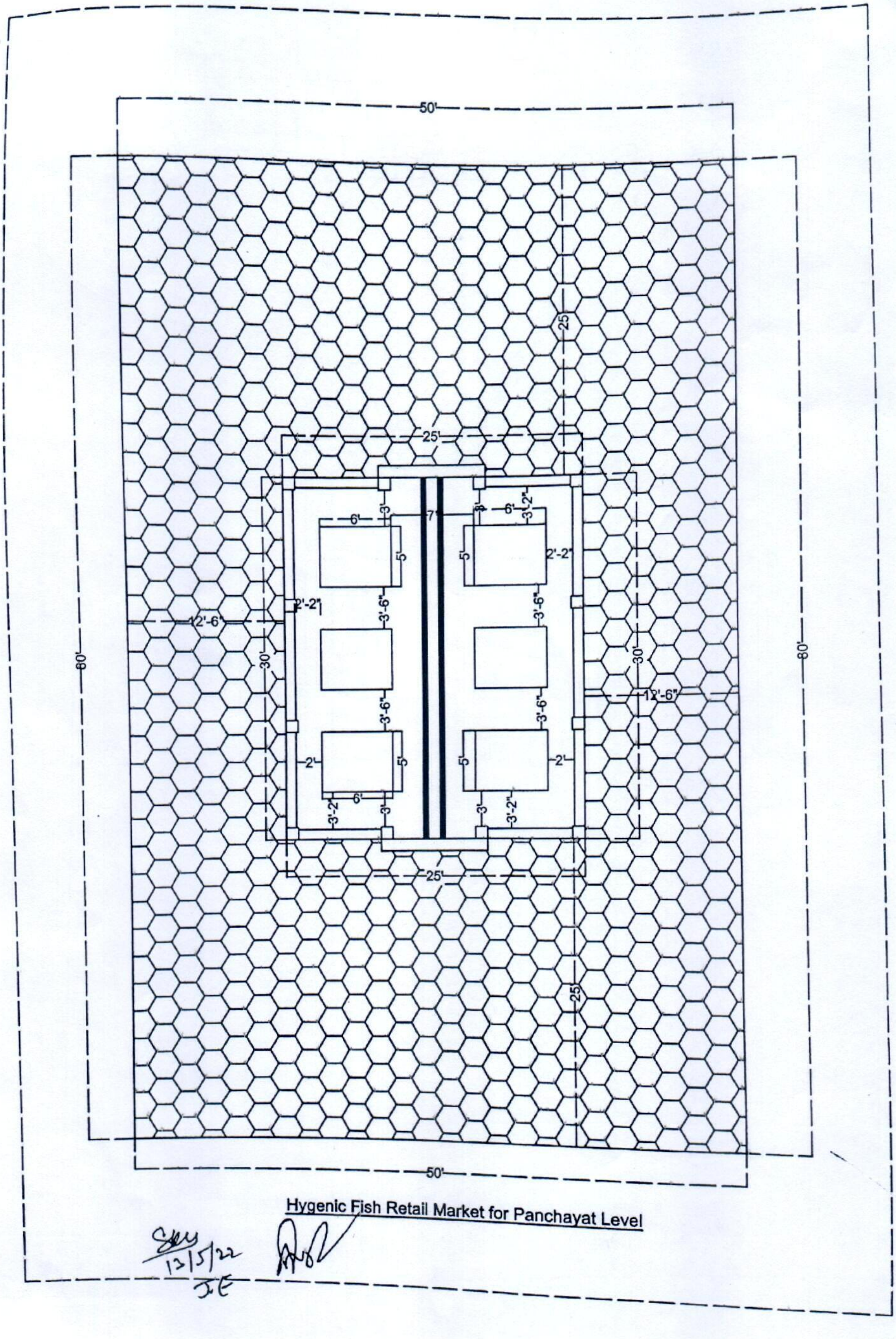


**Hygenic Fish Retail Market for Panchayat Level**

12/5/22
JE